to boost exports to non-quota countries.

(c) The major countries importing textile goods are: USSR, EEC, USA, Canada, Japan, Sweden, Switzerland, Australia, Czechoslovakia, etc.

P.M.'s criticism of big houses

782. SHRI D. B. CHANDRE GOWDA:
SHRIMATI RATAN KUMARI:
SHRI CHATURANAN MISHRA:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether the Prime Minister has recently critisised the big business houses in the country for not making any efforts to boost exports;

(b) if so, the details of the big business houses which are exporting Inidian made-items to other countries; and

(c) what efforts Government have made to encourage the big business houses to export more?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI P. SHIV SHANKAR): (a) to (c) The Prime Minister had made a mention to the effect that the big houses in the country had not done enough to boost exports.

A number of measures have been taken in the field of fiscal policy, industrial policy and import-export policy which would encourage *inter alia* larger houses to export. These include, among other, the set off of a percentage of net f.o.b. value of exports allowed for income tax purposes, raising of limit from Rs. 20 crores to Rs. 100 crores for large houses under the MRTP Act. expansion of the list of industries of Appendix I to the Press Note of Februry 2, 1973 for investment by MRTP/FERA Companies and the decision that export production will be kept outside the licensed capacity.

भारतीय दूतावासों में राजभाषा का प्रयोग

783. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में राजभाषा के प्रयोग से संबंधित स्थिति क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि विदेशों में तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो न केवल अपनी भाषा तथा अपनी वेश-भूषा का प्रयोग नहीं करता बल्कि अपनी संस्कृति को भी प्रस्तुत नहीं करता है ; और

(ग) यदि हां, तो राजभाषा के संवर्धन के लिए क्या-क्या नये कदम उठाये जाने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) मंत्रालय समय-समय पर अपने मिशनों को सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रयोग की आवश्यकता पर बल देते हुए राजभाषा सम्बन्धी आदेश भेजता रहा है । हमारे मिशनों के कार्य का स्वरूप सर्वथा भिन्न है । उनका अधिकांश कार्य विदेशी सरकारों के साथ होता है । तथापि, मुख्यालय के साथ मिशनों का पत्र-व्यवहार कुछ सीमा तक हिन्दी में होता है । मिशनों में उपयोग में आने वाली आम-पट्टिकाएं, रबड़ की मुहरें आदि राजभाषा नियमों के अनुसार हिन्दी में हैं । सांस्कृतिक तथा अन्य अवसरों पर विशेष रूप से ऐसे देशों में जहां भारतीय मूल के व्यक्तियों की संख्या अधिक है, राजभाषा का भी प्रयोग किया जाता है । फिर भी मिशनों का अधिकांश कार्य अंग्रेजी में ही किया जाता है ।

(ख) और (ग) संयुक्त राष्ट्र में सदस्य देशों को केवल वहां की अधिकारिक भाषाओं के प्रयोग करने की अनुमति है । फिर भी कोई सदस्य देश यदि चाहे तो अपनी